FORM NO. III

फर्द अहकाम

(मिसल 36)

तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम रत्तीराम s/o ज्वाली जाति मीना

नम्बर मुकदमा धारा 91 LR Act 290/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/2/18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 5/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
5/3/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी अपस्थित आया है। अनुपस्थित में अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 9/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
9/3/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः ग्राम अकबरपुर की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	[illegible]

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

नम्बर 290/18 ---- तारीख रजू 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का कमालपुर बनाम रतीराम ------पुत्र ---- ज्वाली --जाति मीना निवासी अकबरपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 9/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा ----- हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री रतीराम ------------ ने ग्राम अकबरपुर ---------- को भूमि ख.न. 32 -------- रकबा 0.20 किस्म चरागाह ---------- फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 20 74 ----- में तारामीरा ------- कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 32 ---- रकबा 0.20 ----- किस्म चरागाह वाके ग्राम अकबरपुर से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8.80 का 50 गुणा 440रू शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल तारामीरा ----को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / ~~नीलाम~~ करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर ... के पेज नं. 84 पर
वर्ष 2017-18
की राशि ... 440रू ....
की जमा ...
दिनांक 20/3/18
Keshav
... लेखाकार
तहसील-महवा